

रोज़े का मक़सद

मुहम्मद अज़हर मदनी

रमज़ान के महीने की फज़ीलत इस लिये भी है कि इसी महीने में पवित्र कुरआन का अवतरण हुआ जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरआन में फरमाया:

“रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन को उतारा गया जो लोगों को हिदायत करने (सीधा रास्ता दिखाने वाला) है और जिसमें हिदायत की और सत्य व असत्य में अन्तर करने की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाये उसे रोज़ा रखना चाहिए। हां! जो बीमार हो या मुसाफ़िर हो उसे दूसरे दिनों में यह गिन्ती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तआला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है सख़्ती का नहीं है। वह चाहता है कि तुम गिन्ती पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसकी बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र करो।” (सूरे बकरा-१८४-१८५)

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने रोज़े के नेक मक़सद को बयान करते हुए फरमाया:

“मुसलमानो! जिस तरह उन लोगों पर जो तुम से पहले गुज़र चुके हैं रोज़ा फर्ज़ कर दिया गया था उसी तरह तुम पर भी रोज़ा फर्ज़ कर दिया गया है ताकि तुम में परहेज़गारी पैदा हो।” (सूरे बकरा-१८३)

रोज़े का असल मक़सद यह है कि इन्सान के अन्दर अल्लाह से डर और हर तरह की बुराई से बचने की भावना पैदा हो जाये। जब इन्सान के अन्दर अल्लाह से भय पैदा हो जाये गा तो वह हर बुरे काम से यह सोच कर दूर रहे गा और बुराई से बचने की कोशिश करे गा कि अल्लाह तआला उसके हर कर्म को देख रहा है, और उसके हर अच्छे और बुरे कर्म का आख़िरत में बदला देगा।

एक रोज़ेदार जब रमज़ान के महीने में भूखे प्यासे रहता है, तो उसके अन्दर यह एहसास पैदा होता है कि भूख लगने पर क्या स्थिति होती है और प्यास लगने पर मन में किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे उसके अन्दर गरीबों और ज़रूरतमन्दों की मदद करने का जज़बा पैदा होता है, रोज़ा हर रोज़ेदार के अन्दर यही भावना पैदा करता है इसलिये रमज़ान के रोज़ों, तिलावत और अन्य इबादतों का एहतमाम करना चाहिए, लापरवाही और सुस्ती में रोज़े को नहीं छोड़ना चाहिए। हर रोज़ेदार को यह भी उम्मीद रखनी चाहिए कि रमज़ान की इबादतों से अल्लाह तआला उसके गुनाहों को मआफ़ कर देगा जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जो ईमान व यक़ीन की हालत में और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखेगा उसके सारे गुनाह मआफ़ कर दिये जाते हैं। (सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम)

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम को तक्वा की राह पर चलने, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने, इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमन्दों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की क्षमता दे।



≡ मासिक

इसलाहे समाज

फरवरी 2024 वर्ष 35 अंक 2

शाबानुल मुअज्जम 1445 हिजरी

संरक्षक

असगर अली 'सलफी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने
मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से
एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान
बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर
अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा
मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. रोज़े का मकसद 02
2. रमज़ान की विशेषताएं और श्रेष्ठताएं 05
3. प्रेस रिलीज़ 08
4. रमज़ान में खाने पीने में सावधानी बरतें 09
5. अपील 12
6. सद-क-ए फित्र कब और कैसे अदार करें 13
7. ज़कात 15
8. प्रेस रिलीज़ 17
9. इस्लाम की शिक्षायें और सिद्धांत 18
10. इस्लाम और अमन व सुरक्षा 21
11. बच्चों, गरीबों और गुलामों पर दया 23
12. अफ़वाह से बचने का तरीका 25
13. अपील 27
14. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

इसलाहे समाज
फरवरी 2024

3

फिर दुनिया की कोई समस्या कैसे हल हो सकती है?

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

इस वक़्त देश, समुदाय और मानवता को हर स्तर पर विभिन्न कठिन हालात और असुगम मामलात का सामना है। अत्यंत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गली कूचों, अवाम, जाहिल और देहाती लोगों में वैचारिक और व्यवहारिक पतन का निरीक्षण तो करते ही रहे हैं लेकिन अब यह हर स्तर पर नज़र आ रहा है। आप इन्टरनेशनल स्तर पर नज़र डालिए कि कितने ही मामलात उलझे हुए हैं, झगड़े बखेड़े हैं, अंसख्य झगड़े और समस्यायें व कठिनाइयां विभिन्न क्षेत्रों, घरों और समाजों में फैली हुई हैं उनके समाधान के विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं लेकिन उन का समाधान नहीं निकल रहा है और समस्याएं हैं कि घटने की बजाये बढ़ती जा रही हैं। कभी-कभी ख्याल आता है कि क्यों न यह कह दिया जाए कि हालात को उनके रूख़ पर छोड़ दिया जाए जहां उनका अंत हो गा स्वयं रूक जायेंगे। हम बचपन में देहात में देखते थे कि जब बच्चे आपस में लड़ते थे और किसी की मानते नहीं थे तो बड़े बूढ़े कहते थे कि छोड़ दो खुद ही थकहार कर बैठ जायेंगे और ज्यादातर ऐसा होता भी था मगर यह

मानवीय प्रकृति के विपरीत बात है। दीन व ईमान के एतबार से तो इस तरह के विचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब तक जान में जान है और जब तक दिल व जिगर में मामूली भी ईमान है तो हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए और न मामलात व मुश्किलात से घबराना चाहिए बलिक उनका भरपूर मुकाबला करना चाहिए। अगर दो आदमी अपनी मूर्खता और अपिरणामिदर्शिता की वजह से झगड़ा लड़ाई, हठधर्मी, अत्याचार और ज़िद जो अत्यंत ख़राब और हराम चीज़ है, से बाज़ नहीं आते तो ऐसी हालत में हम जो भलाई के झण्डावाहक हैं और सुलह सफ़ाई और लोगों का मार्गदर्शन हमारा कर्तव्य है क्यों कर मायूस हो कर इस काम को छोड़ दें। इसलिये विश्व समुदाय जो काम भी मानवता के नाम पर व्यक्तगत रूप से या विश्व व स्थानीय संस्थाओं और पलेट फ़ारमों से अंजाम दे रही है और वह काम अच्छा है और वह कौमें अच्छे कामों के लिये खड़ी हुई हैं तो उसे इसी अच्छाई, सफ़ाई निस्वार्थता और ईमानदारी से अंजाम देना चाहिए और स्वार्थ से ऊपर उठकर इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। निःसन्देह स्वार्थ से पाक साफ़ हो कर ही इस

काम को पूरा किया जा सकता है। वास्तव में दो कौमें, जमाअतों या व्यक्तियों में लड़ाई अधिकांश हालात में इसी लिये होती है और उनके बीच सुधार और समझौते का प्रयास इसी वजह से सफल नहीं होता है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्वार्थ के लिये लड़ने लगते हैं और इसको अहंकार और हठ का मामला बना लेते हैं। अब अगर यही काम इस के पंच और जज हजरात भी करने लगें कि अपने मफ़ादात को वरीयता दें और किसी एक पक्ष का ढके छिपे समर्थन करें चाहे नस्ल, भाषा, भूगोल या धर्म और मत के आधार पर या किसी और वजह से तो सुधार के बजाये फ़साद बरपा होता है और मामला मतभेद झगड़े से निकल कर लड़ाई मार में बदल जाता है और जमीन में फ़साद और खूरेज़ी बढ़ जाती है। कहते हैं कि केवल एक निय्यत में खोट की वजह से बड़ा काम और व्यवस्था बिगड़ जाती है फिर जिस में निय्यत के फ़साद के साथ अन्य कारण, बुराई व फ़साद के तत्व और पक्षपात भी जगह ले लें तो फिर दुनिया की कोई समस्या कैसे हल हो सकती है?



रमज़ान की विशेषताएं और श्रेष्ठताएं

मौलाना अब्दुल वली

रमज़ान का महीना इस्लामी साल का नवाँ महीना है यह महीना अपने फजाइल व बरकात के एतबार से दूसरे महीनों के मुकाबले में विभिन्न खूबियों का वाहक है इस में अल्लाह की असीमित रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं जिन से हर मुसलमान लाभान्वित होने का प्रयास करता है। यह मुबारक महीना बाकी अरबी महीनों का सरदार है इसी महीने में अल्लाह की आखिरी किताब कुरआन का अवतरण लौहे महफूज़ से आसमानी दुनिया पर हुआ। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और सरकश व उजड शैतानों को जकड़ दिया जाता है ताकि अल्लाह के बन्दों को उस तरह गुमराह न कर सकें जिस तरह आम दिनों में करते हैं। इस महीने में रोज़ा रखना इस्लाम का बुनियादी स्तंभ है इस महीने की जाने वाली इबादत मिसाल के तौर पर रात की इबादत, कुरआन की

तिलावत, सदका खैरात, एतकाफ और कद्र की रातों की इबादत की बड़ी फज़ीलत (श्रेष्ठता) है।

रोज़ा जैसी इबादत के लिये अल्लाह ने रमज़ान के महीने का चुनाव किया जिस तरह हज जैसी महान इबादत के लिये जिल हिज्जा का चुनाव किया और यह रोज़ा जिन की अदायगी रमज़ान के महीने में फर्ज़ करार पाई जन्नत में जाने का माध्यम करार पाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जो शख्स अल्लाह उसके रसूल (पैगम्बर) पर ईमान लाए, नमाज़ काइम करे, रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह तआला पर हक़ है कि उसे जन्नत में दाखिल फरमाए गा। (बुखारी-२७६०)

रमज़ान ही वह महीना है जिस में कुरआन नाज़िल हुआ कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया:

“रमज़ान वह महीना है जिस

में कुरआन नाज़िल किया गया जो लोगों के लिये हिदायत है और ऐसी शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधी राह दिखाने वाली और सत्य व असत्य का अन्तर खोल कर रख देने वाली है”।

रमज़ान में कुरआन मजीद के नाज़िल करने का यह मतलब नहीं है कि पूरा कुरआन किसी एक रमज़ान में नाज़िल किया गया बल्कि रमज़ान की शबे कद्र में लौहे महफूज़ से आसमानी दुनिया पर उतार दिया गया और वहां बैतुल इज्जत में रख दिया गया जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया:

“यकीनन हम ने इस कुरआन करीम को शबे कद्र में नाज़िल फरमाया है।” (सूरे कद्र-१)

“बेशक हम ने इसे (पवित्र कुरआन को) बाबरकत रात (शबे कद्र) में नाज़िल फरमाया है, बेशक हम डराने वाले हैं” (सूरे दुखान)

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह

के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: पांच नमाज़ें, जुमा दूसरे जुमा तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक इन के दर्मियान होने वाले गुनाहों के लिये कफ़ारा (प्रायश्चित) है शर्त यह है कि महा पापों से बचा जाए (क्योंकि महा पाप सच्ची और खालिस तौबा के बगैर मआफ नहीं होते) (मुस्लिम 96/233)

रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।

रमज़ान के महीने में जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं।

रमज़ान में सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान के महीने में रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।

रमज़ान के महीने में एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है ऐ नेकियों के तलबगार आगे बढ़ो और ऐ गुनाहों के ढूँढने वाले गुनाहों से रुक जाओ।

हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: “जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम

के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान कैद कर दिये जाते हैं। (बुखारी-9766)

हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतानों और सरकश जिन्नातों को जंजीरों में बांध दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और (पूरे रमज़ान) में इसका कोई भी दरवाज़ा बन्द नहीं किया जाता और एक पुकारने वाला पुकारता है ऐ भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ो और ऐ बुराइयों के ढूँढने वाले बुराइयों से रुक जाओ और (इस रमज़ान के महीने में) अल्लाह तआला बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और ऐसा हर रात होता है। (अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है इब्ने माजा 9/295)

हाफिज़ इब्ने हजर रह० इस हदीस की व्याख्या में फरमाते हैं:

“रमज़ान के महीने में शैतानों के जकड़ दिये जाने का अर्थ यह है

कि रोज़ेदारों से बुराइयां कम होती हैं जिन्होंने आदाब व शराइत के साथ रोज़ा रखा है अथवा मतलब यह है कि सभी शैतान नहीं बल्कि सिर्फ सरकश शैतान जकड़ दिये जाते हैं जैसा कि बाज़ रिवायात में इसका उल्लेख है या शैतान के जकड़ दिये जाने का अर्थ रमज़ान के महीने में बुराइयों का कम होना है जैसा कि हर शख्स महसूस करता है कि रमज़ान के महीने में दूसरे महीनों की अपेक्षा गुनाह कम हो जाते हैं। (स्पष्ट रहे कि) शैतानों के जकड़ दिये जाने से यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि रमज़ान के महीने में सिरे से बुराइयों का अन्त हो जाए क्योंकि शैतानों के अलावा बुराई के अन्य कारण भी हैं मिसाल के तौर पर खबीस लोग, बुरी लत, इन्सानी शैतान जो शैतानों का प्रतिनिधत्व करते और पाप को जनम देते हैं। (फतहुल बारी 8/939 फैजुल कदीर 9/380)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: रमज़ान के रोज़े और हर महीने के तीन रोज़े रखने से दिल के वसवसों और

कीना कपट का अन्त होता है।
(अल्लामा अल्बानी ने इस हदीस को हसन सहीह करार दिया है, देखिए सहीहुत तर्गीब वत तर्हीब १/५६६ हदीस न० १०३२)

रमज़ान सब्र का महीना है क्योंकि मुस्लिम बन्दा इस महीने में अल्लाह का आज्ञापालन, भूख प्यास की शिददत और अल्लाह की हराम की गई बातों पर सब्र करता है और इन हराम चीज़ों से रूका रहता है।

हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जिस ने ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके पिछले पाप बख़्श दिये जाते हैं। (सहीह बुखारी ३८ सहीह मुस्लिम ७६०)

इस हदीस का अर्थ यह है कि जो बन्दा अल्लाह के कर्तव्यों की पुष्टि करते हुए उसके सवाब का तलबगार हो कर, दिखावे से बचते हुए सिर्फ अल्लाह की खुशी की खातिर रोज़े रखे गा उसके पिछले गुनाह मआफ कर दिये जाते हैं। (शरहुन नव्वी अला सहीह मुस्लिम

३/४६)

रमज़ान के महीने में तरावीह अदा करने से गुनाह बख़्श दिए जाते हैं। अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

“जिसने रमज़ान के महीने में ईमान के साथ, सवाब की नियत से क्याम किया उसके पिछले तमाम गुनाह मआफ कर दिए जाते हैं।” (बुखारी ७८, मुस्लिम ७६०)

रमज़ान के महीने में एक ऐसी रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया:

“यकीनन हम ने इसे (कुरआन करीम को) शबे क़द्र में नाज़िल किया आप को क्या मालूम कि शबे क़द्र क्या है? शबे क़द्र एक हज़ार महीनों से बेहतर है इसमें हर काम के सरअंजाम देने के लिये अपने रब के हुक्म से फरिशते और रूह (जिबराईल) उतरते हैं, यह रात सरासर सलामती की होती है और फज़्र के तुलू होने तक रहती है। (सूरे क़द्र १-४)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला

अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: रमज़ान के आखिरी दस दिन की ताक़ रातों (२१,२३,२५,२७,२९) में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। (सहीह बुखारी २०१७)

रमज़ान के महीने में उमरा करने से हज के बराबर सवाब मिलता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

रमज़ानुल मुबारक में उमरा करना हज करने या मेरे साथ हज करने के बराबर है (सहीह बुखारी १८६८ सहीह मुस्लिम १२५६)

जाबिर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ूं, रमज़ान के रोज़े रखूं, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझूँ और इससे ज़्यादा कुछ न करूँ तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ गा तो रसूल सल्लल्लाहो अलैहि

वसल्लम ने फरमाया: हां। उस शख्स ने कहा: अल्लाह की कसम मैं इस से ज़्यादा न कखंगा (मुस्लिम 95/97)

काब बिन अज़रा रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम को मिनबर लाने का हुक्म दिया, सहाबा किराम मिनबर ले आए, जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया: आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन इसी तरह जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो कहा “आमीन”

जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मिनबर से नीचे तशरीफ लाए तो हम ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आज हमने आप से ऐसी बात सुनी जो इससे पहले नहीं सुनी थी, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

जिबरईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा: उस आदमी के लिये हिलाकत है जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और मआफी हासिल न कर सका, मैंने इसके जवाब में

आमीन कही, फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिबरईल अलैहिस्सलाम ने कहा हिलाकत है उस आदमी के लिये जिसके सामने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाये और वह आप पर दरूद न भेजे मैंने इसके जवाब में भी आमीन कही फिर जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिबरईल अलैहिस्सलाम ने कहा: जिस शख्स ने अपने मां बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका इसके लिये हिलाकत हो मैंने इस के जवाब में भी आमीन कही। (अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखिए सहीहुत तर्गीब वत तर्हीब 9/573)

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें इस मुबारक महीने की कद्र व मंजिलत (स्थान एवं महत्व) को समझने और इसमें फर्ज़ रोज़ों की पाबन्दी के साथ दूसरे नेक आमाल करने की क्षमता दे। आमीन



(प्रेस रिलीज़) शाबान 9885 का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, 90 फरवरी 2024

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की “मर्कज़ी अहले हदीस ख़यते हिलाल कमेटी दिल्ली” से जारी अख़बारी बयान के अनुसार दिनांक 26 रजब 9885 हिजरी अर्थात 90 फरवरी 2024 शनिवार को मग़रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में “मर्कज़ी अहले हदीस ख़यते हिलाल कमेटी दिल्ली” की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजप्फर के चाँद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चाँद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनांक 99 फरवरी 2024 रविवार के दिन शाबान की 30वीं तारीख होगी।

रमज़ान में खाने पीने में सावधानी बरतें

मौलाना असअद आज़मी

आम तौर से रमज़ान के महीने में मुस्लिम समाज में यह देखा जाता है कि खाने पीने का एहतमाम अतिशयोक्ति की हद तक किया जाता है। इफ्तार और सेहरी में विभिन्न प्रकार के खान पान से दस्तरखुवान भरा होता है। आम दिनों में खाने पीने का जो बजट होता है अचानक उस में बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है जबकि आम दिनों में २४ घन्टे खाने पीने की छूट होती है तो रमज़ान में वह मुददत घटकर ८-९ घन्टे ही रह जाती है इस तरह देखा जाए तो इस बजट में कमी आनी चाहिए न कि बढ़ोतरी। रमज़ान में मुस्लिम महल्लों और एलाकों का हाल यह होता है कि सुबह से दोपहर तक थोड़ा सुकून रहता है लेकिन दोपहर के बाद से खाने पीने के सामान, खरीदने बेचने, उनकी तैयारी और भीड़ भाड़ के दृष्य देखने को मिलते हैं। रोज़े की वजह से भूख और प्यास को मिटाने के लिये और रोज़े की वजह से शरीर को

होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिये इन्सान सोचता है कि अपने पेट में क्या क्या न उंडेल ले यही मानसिकता व सोच कितनों को इफ्तार के दस्तरखुवान से सीधे सपताल पहुंचा देती है। अल्लाह की व्यवस्था में कितनी हिकमत और अकलमन्दी है उसने इफ्तार का वक़्त बहुत थोड़ा रखा क्योंकि इफ्तार के तुरन्त बाद मग़रिब की नमाज़ अदा करनी होती है। और आदमी चारोनाचार हाथ खींच कर मस्जिद का रूख करता है। (अगर वह कम से कम रमज़ान में नमाज़ की पाबन्दी करता है) अगर यह रूकावट न होती तो मालूम नहीं लालची स्वभाव की क्या दशा होती।

बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो कुछ पेट में जाएगा इससे सेहत और शरीर का लाभ ही होगा चाहे जितनी मात्रा में हो। ऐसी सोच शत प्रशित गलत है। मध्यमार्ग और संतुलन से जो चीज़ हट जाती है वह नुकसान ही पहुंचाती

है। खाने पीने के मामले में शरीर अत ने संतुलन की शिक्षा दी है और आधुनिक एवं पराचीन चिकित्सक भी इस पर सहमत हैं।

ज़्यादा खाना हर एतबार से हानिकार है। कुरआन करीम की इस आयत “खाओ पियो ज़रूर मगर हद से तजाउज़ (अतिशयोक्ति) न करो” के द्वारा सावधान किया गया है।

हज़रत मिक्दाम बिन मादी करिब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आदमी पेट से ज़्यादा बुरे किसी बर्तन को नहीं भरता इन्सान के लिये चन्द लुकमे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधी रख सकें अगर आदमी बजिद (अडिग) ही है तो एक तिहाई हिस्सा में खाना खाए, एक हिताई हिस्सा में पानी पिए और तिहाई हिस्सा को सांस लेने के लिये बाकी रखे। (मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, इस

हदीस की सनद सहीह है)

एक दूसरी हदीस में ज़्यादा खाने से बचने का उपाय बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी का खाना दो आदमी के लिये काफी होता है और दो आदमी का खाना तीन के लिये काफी होता है” (सहीह बुखारी व मुस्लिम)

यह शिक्षा इन्सान को खाने पीने के मामले में संतुलन की प्रेरणा देती है और ज़्यादा खाने से बचने का उपदेश देती है। इसी में भलाई है तभी तो शरीर ने ऐसे निर्देश दिए हैं।

पराचीन ज़माने से लेकर आज तक प्रसिद्ध चिकित्सकों की इस बात पर सहमति है कि ज़्यादा खाना विभिन्न बीमारियों और कठिनाइयों का कारण बनता है और निरन्तर ज़्यादा खाना जानलेवा साबित होता है। खलीफा हारून रशीद ने चार डाक्टरों को जमा करके कहा कि आप में से हर कोई शख्स ऐसी दवा बताए जिस में कोई बीमारी न हो। इन में से तीन डाक्टरों ने अपने अनुभव की रोशनी में अलग अलग बातों का उल्लेख किया चौथे डाक्टर

ने इन तीनों डाक्टरों के बताए हुए नुस्खों के नुकसान को बताते हुए कहा कि वह दवा जिस में कोई बीमारी नहीं है वह यह है कि खाने पर उस वक़्त बैठो जब इच्छा हो और उस वक़्त खाना खाना छोड़ दो जब इच्छा बाकी रहे।

अल्लामा इब्ने कैइम रह० फरमाते हैं कि चार चीज़ शरीर को बीमार कर देती है ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा संभोग करना।

इसके बाद ज़्यादा खाने के बारे में लिखते हैं कि इससे मेदे का मुंह खराब हो जाता है, शरीर का मुंह खराब हो जाता है, शरीर कमज़ोर होता है, बदबूदार हवा पैदा होती है और कष्टदायक बीमारी जनम लेती है।

हकीम जालीनोस ने एक बार अपने साथियों से चन्द चीज़ों की पाबन्दी और चन्द चीज़ों से परहेज़ करने का उपदेश देते हुए कहा कि “अगर ऐसा करो गे तो कभी डाक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन निर्देशों में से एक यह भी है कि पेट भर जाने के बाद अधिकृत खाना मत खाओ”

लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं “पेट भरे होने पर कोई चीज़ न खाओ, तुम्हारे खाने से बेहतर है कि तुम इसे कुत्ते के लिये छोड़ दो।”

फुज़ैल बिन इयाज़ रह० फरमाते हैं कि दो चीज़ सख्त दिल होने का सबब बनती है ज़्यादा बोलना और ज़्यादा खाना।

ज़्यादा खाने की हवस और लालच में लिप्त इन्सान आम तौर से इस बात की परवाह नहीं करता कि वास्तव में उसे खाने की इच्छा है या नहीं, उसका पेट खाली है या नहीं बल्कि खाने पीने की हर चीज़ का वह स्वागत करता है और इससे लाभान्वित होने को हर दूसरी चीज़ पर वरीयता देता है जबकि यह आदत भी उसके शरीर और आत्मा दोनों के लिये घातक है जैसा कि अनेक डाक्टरों ने स्पष्ट रूप से बताया है। हकीम जालीनोस से यह प्रश्न किया गया कि क्या कारण है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ते? इस के जवाब में उन्होंने चन्द बातें बताईं जिन में से एक यह भी है कि पेट में खाना मौजूद होते हुए भी मैंने कभी इस पर दूसरा खाना नहीं

खाया।

अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक हारिस बिन किलदा से एलाज से संबन्धित कुछ सवाल किए गये इसके जवाब में उन्होंने यह बात भी बताई थी कि कभी अपने पेट में ऐसी हालत में खाना दाखिल न करो जबकि इसमें खाना मौजूद हो।

खलीफा मामून रशीद के एक डाक्टर ने एक बार चन्द निर्देश दिये और कहा कि जो शख्स इन निर्देशों की पाबन्दी करेगा उसे मौत के इलावा कोई दूसरा मर्ज नहीं होगा। इनमें सबसे पहली हिदायत यह है कि अगर तुम्हारे मेदे में खाना मौजूद हो तो फिर खाना मत खाओ।

अल्लामा इब्ने कैइम रह० ने ज्यादा खाने और बिला ज़रूरत बार बार खाने के नुकसानात को बयान किया है जिन में बाज़ बातें यहां बयान की जा रही हैं। पहले ही से शरीर में मौजूद खाना के हज़म होने से पहले दूसरा खाना शरीर में दाखिल करना, शरीर को जिस मात्रा में खाने की ज़रूरत है उससे ज्यादा खाना और देर में हज़म होने वाला खाना लेना, कई तरह के खानों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना

वगैरह। जब इन्सान इन खानों से अपना पेट भर लेता है और इसी का आदी हो जाता है तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जिन में से बाज़ जल्दी ठीक हो जाती हैं और बाज़ लम्बे अर्से तक बाकी रहती हैं। लेकिन जब इन्सान खाना पान के बारे में संतुलन की राह अपनाता है ज़रूरत भर खाना खाता है तो ज्यादा खाना खाने के मुकाबले में इस खाने से उसके शरीर को ज्यादा भायदा पहुंचता है।

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चन्द लुकमे जिन से इन्सान की पीठ सीधी रह सके और उसे कोई कमज़ोरी न हो वही उसकी इच्छा है तो एक तिहाई हिस्सा में खाए, एक तिहाई को पानी के लिये छोड़ दे और एक तिहाई को सांस लेने के लिये यह शरीर और दिल दोनों के लिये लाभदायक है क्योंकि अगर पेट सिर्फ खाने से भर जाए तो पानी के लिये गुंजाइश नहीं रह जाती अगर इसी पर पानी भी पी लिया जाए तो सांस लेने में दुश्वारी होती है और आदमी बेचैन और बोझल हो जाता है और इसकी हालत उस आदमी जैसे हो जाती है

जिसने कोई भारी बोझ उठा रखा हो। इसके अलावा दिल में बिगाड़, नेकी के कामों में सुस्ती जैसे परिणाम सामने आते हैं। इससे मालूम हुआ कि खाने से पेट भर लेना दिल और शरीर दोनों के लिये हानिकारक है। ज़रूरत से ज्यादा खा लेने से शरीर और उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है भले सेहतमन्द दिखाई दे। ज्यादा खाने से शरीर मज़बूत नहीं होता बल्कि जितना खाने को कुबूल करता है उसके इतना ताकतवर होता है (जादुल मआद, अल आदाबुश शरईया व अन्य किताबें)

इन शरई और चिकित्सकीय यथार्थ और सिद्धांतों को सामने रखते हुए हमें रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने के रूटीन और फुजूल खर्ची के रवैये में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो न केवल अपने दीन व शरीर की तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं बल्कि अपने शरीर और अपनी सेहत के साथ भी खेलवाड़ करते हैं रूपये पैसे की बर्बादी अलग है। अल्लाह तआला हम सब को हर तरह के बुरे परिणाम से सुरक्षित रखे।

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब काइम कीजिए मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नो के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इब्रत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्जत व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व किरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदरिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुँचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्ज्वल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं

उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उद्देश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के परिणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदरिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को

बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी
अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले
हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

सद-क-ए फ़ित्र कब और कैसे अदा करें

शैखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी रह०

सदक-ए-फ़ित्र के बारे में रसूल स०अ०व० ने फरमाया: रमज़ान के रोज़े आसमान और ज़मीन के बीच लटके रहते हैं और जब तक सदक-ए-फ़ित्र न अदा किया जाये, कुबूल नहीं होते हैं।

हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने सद-क-ए फ़ित्र फर्ज़ किया है रोजेदार के रोजे और बुरी बातों (चीजों) से पाक और साफ करने के लिये। (अबूदाऊद-इब्ने माजा)

सदकए फ़ित्र के फर्ज़ होने के लिये यह जरूरी नहीं है कि उसके पास ज़कात का निसाब हो बल्कि जिस तरह एक मालदार पर फर्ज़ है उसी तरह एक गरीब पर भी फर्ज़ है। जिसके पास ईद के दिन अपनी और अपने परिवार की ख़राक से इतना ज्यादा हो कि हर एक की तरफ से एक

साअ (वज़न करने का एक यंत्र) दे सके बल्कि गरीबों को दूसरों के दिये हुये गल्ला से सद-कए फ़ित्र अदा करना चाहिये।

नबी स०अ०व० ने फरमाया सदकए फ़ित्र के जरिये अल्लाह मालदार को पाक साफ कर देता है और गरीब को उसके साथ जितना उसने दिया उससे ज्यादा उसको वापस लौटाता है।

मालूम हुआ कि सदक-ए-फ़ित्र अमीर गरीब सब पर फर्ज़ है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी स०अ०व० ने सद-क-ए फ़ित्र एक साअ खुजूर एक साअ जौ, गुलाम आजाद मर्द औरत नाबालिग बालिग मुसलमान पर फर्ज़ कर दिया है मगर बीवी बच्चों गुलामों का सदकए फ़ित्र घर के मालिक को देना होगा।

(बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत इब्ने उमर फरमाते

हैं कि नबी स०अ०व० बालिग नाबालिग गुलाम के नफ़का और खर्च का जो जिम्मेदार हो उसको उनकी तरफ से सदकए फ़ित्र अदा करने का हुक्म फरमाया।

अगर बीवी बच्चे मकान पर नहीं हैं बल्कि सफर पर हों तो उनका भी सद-क़ा फ़ित्र अदा करना होगा अगर किसी नाबालिग लड़की से निकाह किया है और नाबालिग होने की वजह से रूखसती न होने की वजह से अपने माता पिता वालिदैन के यहां है तो उसका सद-क़ा फ़ित्र उसके बाप को अदा करना होगा और वह औरत जो अपने शौहर (पति) की इजाज़त के बगैर नाफरमानी करके अपने माँ बाप के यहां चली जाये तो उसका सदकए फ़ित्र उसके शौहर पर फर्ज़ नहीं है।

सद-क-ए फ़ित्र उन्हीं लोगों पर फर्ज़ नहीं जिन पर रोज़े फर्ज़

हैं चाहे बालिग हों या नाबालिग मर्द हो या औरत जैसा कि बुखारी मुस्लिम की रिवायतों से मालूम हो चुका है। आप स०अ०व० ने सद-क-ए फित्र को मिस्कीनों का खाना करार दिया इसलिये सद-क-ए फित्र जिस तरह रोजेदार को बुरी बातों से दूर रखने की हैसियत से फर्ज किया गया इसी तरह मिस्कीनों (गरीबों) की खुराक होने की हैसियत से भी फर्ज किया गया है इसलिये जो बच्चा ईद की सुबह को पैदा हो जाये उस पर सद-क-ए फित्र फर्ज है।

सद-क-ए फित्र ईद की सुबह को ईद की नमाज़ से पहले अदा करना चाहिये अगर ईद की नमाज़ के बाद अदा किया गया तो सद-क-ए फित्र अदा नहीं हो गा और सदकए फित्र का सवाब नहीं मिलेगा केवल सद्का और खैरात के हुक्म में हो जायेगा।

जिसने सद-क-ए फित्र ईद की नमाज़ से पहले अदा किया तो वह सद-क-ए फित्र मकबूल होगा और जिसने नमाज़ के बाद अदा किया तो वह खैरात के हुक्म में हो जायेगा। (अबू दाऊद,

इब्ने माजा)

हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि नबी स०अ०व० ने सद-क-ए फित्र को ईदगाह जाने से पहले अदा करने का हुक्म दिया।

सद-क-ए फित्र उस गल्ले से देना चाहिये जो आम तौर पर वहां के लोगों की खुराक हो अगर आम तौर पर चावल खाया जाता है तो चावल देना चाहिये और बिना अन्तर के हर जिन्स से एक साअ हिजाज़ी देना चाहिये लेकिन वह जिन्स घटिया नहीं होनी चाहिये।

नबी स०अ०व० और सहाबए किराम से सद-क-ए फित्र में कीमत देना साबित नहीं है इसलिये बिना उज्र (वजह) के कीमत नहीं देनी चाहिये बल्कि आम तौर पर खाये जाने वाले गल्ले ही से सद-क-ए फित्र अदा करना चाहिये अगर जरूरत के अनुसार गल्ला न मिल सके तो बाज़ार के काम भाव के अनुसार फितरा में कीमत निकाली जा सकती है।

इस्लाहे समाज

खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण जरूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइल नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पता:अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नाम:

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI

Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE

ICIC0006292

नोट:-बैंक द्वारा रकम भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

ज़कात

प्रो० डा० ज़ियाउर्रहमान आजमी रह०

ज़कात अरबी भाषा का शब्द है। यह एक विशेष प्रकार के दान का नाम है। इसमें बढ़ोतरी और पवित्र करने के दोनों अर्थ निहित हैं अर्थात् 'ज़कात' देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। परन्तु हम इसका एहसास नहीं कर पाते। इसी प्रकार 'ज़कात' देने से धन शुद्ध करने का एक मात्र साधन केवल 'ज़कात' है। इसी की ओर एक सहीह हदीस में संकेत करते हुए बताया गया है कि:

“धन धनवानों से लेकर निर्धनों में वितरित किया जाएगा।” (बुख़ारी, १३६५ तथा मुस्लिम, २६) कुरआन में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया:

“ऐ नबी! तुम उनके मालों में से 'ज़कात' लेकर उन्हें शुद्ध एवं पवित्र कर दो, तथा उनके लिए दुआ (प्रार्थना) करो। निस्सन्देह आपकी दुआ उनके लिए सर्वथा परितोष का साधन है”। (सूरा-६, अत-तौबा, आयत-१०३)

अब जबकि इस बात का ज्ञान

हो गया कि हमारे धनों में निर्धनों का धन भी सम्मिलित है और हमारा धन ज़कात दिए बिना शुद्ध नहीं हो सकता, तो 'ज़कात' न देने वालों के लिए मम्भीर यातना से डराया गया है। जैसा कि सहीह हदीस में आया है कि ज़कात न देने वाले की पेशानी को गर्म सलाख़ से दागा जाएगा और वे पशु जो ज़कात में निकाले जाने चाहिए थे परन्तु नहीं निकाले गए, प्रलय के दिन अपने खुरों से उसे कुचलेंगे तथा अपने सींगों से उसे घायल करेंगे और ऐसा बार-बार किया जाएगा, यहां तक कि अल्लाह इस बात का निर्णय कर दे कि इनको स्वर्ग में जाना है या नरक में। (देखिए सहीह मुस्लिम, ६८७)

ज़कात चार प्रकार के धनों पर अनिवार्य है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उनपर एक वर्ष बीत गया हो।

१. सोना-चांदी तथा करेंसी (मुद्रा)
२. खेत की पैदावार
३. व्यापार का सामान
४. व्यापार के लिए पाले गये

पशु जैसे ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि।

ज़कात के लिए कम से कम ६५००० की अलग-अलग मात्रा (निसाब) निश्चित की गई है। जैसे सोने की मात्रा (निसाब) साढ़े सात तोला तथा चांदी की साढ़े बावन तोला, करेंसी नोट जो सोने या चांदी के मूल्य के बराबर हों तो उसपर ढाई प्रतिशत ज़कात अनिवार्य होगी। और अगर यह सोना-चांदी या करेंसी नोट इस मात्रा (निसाब) से कम हों तो उन पर ज़कात अनिवार्य नहीं।

खेत की पैदावार दो प्रकार की होती है: एक वह जो वर्षा के पानी से पैदा हो। इसमें पैदावार का दसवां हिस्सा अर्थात् दस प्रतिशत ज़कात बनती है, दूसरी वह जिसके लिए सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है। इसमें पैदावार का बीसवां हिस्सा अर्थात् पांच प्रतिशत ज़कात बनती है। पैदावार पर निकाली जाने वाली ज़कात को उश्र भी कहते हैं।

व्यापारिक सामान का मूल्य लगाया जाएगा और मूल्य पर ढाई प्रतिशत ज़कात दी जाएगी।

पुशओं की ज़कात का परिणाम इसलाहे समाज फरवरी 2024

अलग है, जिसका विवरण हदीस की किताबों में पाया जाता है। ज़कात का हिसाब लगाने का सरल तरीका यह है कि वर्ष का कोई मास निर्धारित कर लिया जाए और फिर प्रतिवर्ष उस माल में देखा जाए कि उसके पास कितनी सम्पत्ति है। और फिर उसके हिसाब से ढाई प्रतिशत ज़कात निकाल दी जाए।

अपने प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात नहीं है। जैसे घर, सवारी, पहनने के कपड़े आदि। इसी प्रकार जमीन (प्लॉट) वगैरह। परन्तु बेचने की दशा में जब धन पर एक वर्ष बीत जाए तो प्रयोग के पचशत जो धन बचे उस पर ज़कात दी जाएगी।

सोने-चांदी के प्रयोग में आने वाले गहनों पर ज़कात के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है। परन्तु सहीह यही है कि इनपर भी ज़कात है।

ज़कात कहां खर्च की जाए?

कुरआन ने ज़कात को आठ प्रकार के लोगों में खर्च करने का हुक्म दिया है।

“सदके तो वास्तव में मुहताजों और निर्धनों के लिए हैं। और उन कर्मचारियों के लिए जो ज़कात इकट्ठा करने पर लगे हों। और उनके लिए

जिनके दिल परचाए और आकृष्ट किए जा रहे हों। और गुलामों को आज़ाद कराने के लिए और कर्जदारों की सहायता के लिए, और अल्लाह के मार्ग में खर्च करने के लिए और यात्रियों की सहायता के लिए, यह अल्लाह का ठहराया हुआ हुक्म है अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है” (सूरा-९, अत-तौबा, आयत-६०)

ज़कात वास्तव में इस्लामी समाज में आर्थिक असमानता मिटाने का एक ऐसा साधन है जिसका उदाहरण किसी और धर्म या व्यवस्था में नहीं पाया जात। इतिहास के पन्नों में मदीना राज्य की जो घटनाएं सुरक्षित हैं, उनमें से एक यह भी है कि ज़कात देने वाले बाजारों में धन हाथ में लेकर घूमते फिरते थे, परन्तु कोई लेने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि ज़कात का एक सरकारी प्रबन्ध था जहां लोग अपने जाहिरी माल की ज़कात ‘बैतुल माल’ में जमा करते थे, या स्वयं सरकार उनसे वसूल करती थी (जाहिरी माल में जानवर, व्यापार, खेत की पैदावार आदि आते हैं) और फिर बैतुल-माल से निर्धनों और मोहताजों को बांटी जाती थी। परन्तु सोने-चांदी की

ज़कात मुसलमान स्वयं बांटते थे, जिसको लेने वाले नहीं मिलते थे। इस प्रकार ज़कात के सिद्धान्त ने निर्धनता को सदैव के लिए विदा कर दिया।

फिर ज़कात मनुष्य की आत्मा की शुद्धि का भी एक साधन है, क्योंकि धन का मोह सदैव आत्मा को घेरे रहता है। अब उससे छुटकारे का एकमात्र साधन ज़कात ही है, क्योंकि हर मुसलमान को ढाई प्रतिशत ज़कात तो देनी ही है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ और भी देना चाहिए। इस प्रकार ज़कात का सिद्धान्त आत्मा को शुद्ध करने और उसे विकसित करने का विशेष साधन बन जाता है।

ज़कातुल फित्र

जैसा कि इससे पूर्व बताया जा चुका है कि ज़कात का अर्थ है शुद्ध करना। ज़कातुल फित्र में भी यही अर्थ पाया जाता है। अर्थात् रमज़ान के रोज़े (उपवास) में अगर कोई चूक हो गई हो तो ज़कातुलफित्र के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है।

यह ज़कात भी अनिवार्य हैं एक सहीह हदीस में आया है-

“नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आज़ाद एवं गुलाम,

फुरुष-स्त्री, छोटे-बड़े अर्थात प्रत्येक (सामर्थ्य रखने वाले) मुसलमान पर ज़कातुल फ़ित्र अदा करना अनिवार्य किया, जिसका परिमाण है एक साअ खज़ूर, या एक साअ गेहूँ। (बुखारी, १५०४ तथा मुस्लिम, ६८४)

परन्तु उन मुसलमानों पर ज़कातुल फ़ित्र वाजिब नहीं जिनके पास इतना भी धन न हो कि ईद के दिन अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। यह 'साअ' एक प्राचीन पैमाना है, जिसका वर्णन युसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में आता है। देखिए सूर-१२, यूसुफ, आयत-७२ और जो आज के पैमाने से लगभग साढ़े तीन किलोग्राम बनता है। (अधिक जानकारी के लिए देखिए साअ) इस ज़कात को निकालने का उचित समय ईद की नमाज़ से पहले है, ताकि निर्धन लोग भी ईद के आनन्द और उल्लास में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए अगर इस ज़कात पर विचार किया जाए तो इस्लामी समाज में एकता पैदा करने का यह भी एक साधन है, ताकि धनवान तथा निर्धन दोनों ही इस्लाम के साए में मिल जुलकर जीवन व्यतीत कर सकें और यही इस्लामी शिक्षाओं का विशिष्ट उद्देश्य है।

अल माहदुल आली लित-तख़स्सुस फ़िद-दरिसातिल इस्लामिया में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह

दिल्ली २७ जनवरी २०२४

आज तमाम देशवासी चाहे वह देश विदेश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों गणतंत्र दिवस की खुशी से सरशार हैं। गणतंत्र दिवस सब को मुबारक हो। यह दिन हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है इसके लिये हमारे पूर्वजों ने जान व माल की कुर्बानियां पेश की हैं और बिना किसी धर्म व मत के अन्तर के सबने एकजुट होकर देश के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और यह सब के प्रयासों का फल है कि आज हमारा देश विकसित देशों की पंक्तियों में खड़ा ही हुआ चाहता है। यह उदगार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी ने व्यक्त किया। वह २६ जनवरी २०२४ को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मर्कज़ी जमीअत की उच्च शैक्षणिक व शैक्षिक संस्था अल माहदुल आली लित तख़स्सुस फ़िद

दरिसातिल इस्लामिया अहले हदीस कम्पलैक्स अबुल फज़ल इन्कलेव ओखला में आयोजित समारोह में ६ वजारोहण के बाद संबोधित कर रहे थे।

गणतंत्र दिवस सामारोह की शुरूआत अमीर महोदय के हाथ ६ चवजारोहण से हुई। फिर देश गान जन गण मन और हिन्दी तराना "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा" गाया गया। उपस्थित लोगों में मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर माहद के अध्यापक मुफ्ती जमील अहमद मदनी, डा० मुहम्मद शीस इदरीस तैमी, माहद के अन्य अध्यापकगण डा० अब्दुल वासे तैमी, मास्टर राशिदुल इस्लाम, अल माहदुल आली के क्षात्र एवं कार्यकर्ता के अलावा रहमत कलीम तैमी, अयाज़ तकी, अन्वर अब्दुल कैयूम अंसारी आदि मौजूद थे।

(जरीदा तर्जुमान १६-२६ फरवरी २०२४)

इस्लाम की शिक्षायें और सिद्धांत

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब तुम में से कोई अपने इस्लाम को बेहतर बना ले तो हर नेकी जो वह करता है उसके बदले में उसके लिये दस से सौ गुना तक लिख दिया जाता है और हर बुराई जिसको वह करता है तो उसके बराबर लिख दिया जाता है। (बुखारी ४२, मुस्लिम १२६)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: तुम में से किसी के पास शैतान आता है फिर कहता है कि फुलां चीज़ को किस ने पैदा किया? फुलां चीज़ को किसने पैदा किया यहां तक कि शैतान कहता है कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया? जब वह किसी को इस तरह के वसवसा में डाले तो उसे अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिये और शैतानी ख्याल को छोड़ दे। (बुखारी ३२७६, मुस्लिम १३४)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब अल्लाह बन्दे से मुहब्बत करता है तो जिब्रईल से कहता है बेशक अल्लाह फुलां से मुहब्बत करता है इसलिये तू भी उससे मुहब्बत करो फिर जिब्रईल भी उससे मुहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रईल आसमान वालों को पुकारने लगते हैं कि अल्लाह तआला फुलां शख्स से मुहब्बत करता है इसलिये तुम सब लोग उससे मुहब्बत करो, पुकार लगाने के बाद पूरे आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं इसके बाद पूरी धरती वाले उसको मकबूल समझते हैं। (बुखारी: ३२०६, मुस्लिम: २६३७)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह तआला तुम में से किसी ऐसे शख्स की नमाज़ कुबूल नहीं करता जिसे वजू की ज़रूरत हो यहां तक कि वह वुजू कर ले।

(बुखारी, ६६५४, मुस्लिम २२५)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: भला बताओ अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो और वह उसमें रोज़ाना पांच बार नहाता हो तो क्या उसके शरीर पर मैल बाकी रहेगा? लोगों ने कहा: उसके शरीर पर थोड़ी सी भी मैल बाकी नहीं रहेगी। यही मिसाल पांचों नमाज़ों की है। अल्लाह तआला इन नमाज़ों के बदले गुनाहों को मिटा देता है। (बुखारी ५२८, मुस्लिम ६६७, शब्द मुस्लिम के हैं)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया: कौन सा अमल सबसे अफज़ल है? तो आप ने फरमाया: अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान। पूछा गया: फिर कौन सा अमल अफज़ल है? आपने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद (अत्याचार और जुल्म व जियादती के खिलाफ

आवाज़ उठाना और उसको रोकना) और असहाय व गरीबों की मदद करना पूछा गया फिर कौन सा अमल अफज़ल है? आपने फरमाया: हज्जे मबरूर (बुखारी २६, मुस्लिम ८३)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो वह अपने पड़ोसी को दुख न दे और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे अपने मेहमान का सम्मान करना चाहिये और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे अच्छी बात कहनी चाहिये या खामोश रहना चाहिये। (बुखारी ६१३६, मुस्लिम ४७)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: हमारा रब आसमाने दुनिया पर हर रात को उस वक़्त उतरता है जब रात की आखिरी तिहाई बाकी रहती है कहता है जो मुझे पुकारे गा तो उसकी दुआ कुबूल करूंगा जो मुझसे मांगे गा तो मैं उसको दूंगा जो मुझसे मआफी तलब करेगा तो मैं उसको मआफ कर दूंगा। (बुखारी, ११४५, मुस्लिम ७५८)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह तआला ने कहा: आदम की औलाद मुझे दुख पहुंचाती है वह जमाने को गाली देती है और जमाना मैं ही हूं मामले मेरे हाथ में है मैं ही रात और दिन को बदलता हूं। (बुखारी ७४६१, मुस्लिम २२४६)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: नमाज़ में सफ़ों को बराबर रखो क्यों कि नमाज़ का हुस्न सफ़ों को बराबर रखने में है। (बुखारी ७२२ मुस्लिम ४३५)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब मुर्ग की बांग (आवाज़) सुनो तो अल्लाह से उसके फज़ल का सवाल करो क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है और जब तुम गधों की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि उसने शैतान को देखा है। (बुखारी ३३०३, मुस्लिम २७२६)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मेरे खलील सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझे

हर महीने की तीन तारीखों में रोज़ा रखने की वसियत की थी, और चाश्त की दो रकअत पढ़ने की वसियत की थी और सोने से पहले वित्र पढ़ लेने की भी वसियत की थी। (बुखारी, १६८१ मुस्लिम ७२१)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल किस तरह के सदके में ज़्यादा सवाब है? आपने फरमाया: जिसे तुम सेहत के साथ बुख़ल के बावजूद करो तुम्हें एक तरफ फकीरी का डर हो और दूसरी तरफ मालदार बनने की तमन्ना और उस सदक खैरात में ढील नहीं होनी चाहिये कि जब जान हलक तक आ जाये तो उस वक़्त तू कहने लगे कि फुलां के लिये इतना और फुलां के लिए इतना हालांकि अब तो वह फुलां का हो चुका है। (बुखारी १४१६, मुस्लिम १०३२)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: तुम जनाज़ा को तेज़ी से लेकर चलो क्योंकि अगर वह नेक है तो तुम उसको भलाई की तरफ नजदीक कर रहे हो और अगर इसके सिवा है तो एक बुराई है जिसे

तुम अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।
(बुखारी १३१५, मुस्लिम ६४४)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह तआला का हर मुसलमान पर हक है कि हर सात दिन में एक दिन नहाये, उस दिन अपने सर को और जिस्म को गुस्ल दे। (बुखारी ८६७ मुस्लिम ८४६)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: कसम खाने से सामान बिक जाती है लेकिन कसम बरकत को मिटा देती है। (बुखारी २०८७, मुस्लिम १६०६)

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तमाम उम्मत को मआफ कर दिया जायेगा लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों को मआफ नहीं किया जायेगा और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में यह भी शामिल हैं कि एक शख्स रात को कोई (गुनाह) का काम करे और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया है मगर सुबह होने पर वह कहने लगे कि ऐ फुलां मैंने कल रात

फुलां फुलां काम किया था, रात गुज़र गयी थी, उसके रब ने उसके गुनाह को छुपाये रखा और जब सुबह हुयी तो उसने खुद ही अल्लाह के पर्दे को छुपा दिया। (बुखारी ६०६६, मुस्लिम २६६०) अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान जंजीरों में जकड़ दिये जाते हैं। (बुखारी ३२७७ मुस्लिम १०७६) अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब कोई भूल कर खा पी ले तो उसे चाहिये कि अपना रोज़ा पूरा करे क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। (बुखारी १६३३, मुस्लिम ११५५)

२४. अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जिसने इस घर (काबा) का हज्ज किया और उसमें न शहवत की बात की और न कोई गुनाह का काम किया तो वह उस दिन की तरह वापस होगा जिस

दिन उस की मां ने उसे जना किया था। (बुखारी १८१६, मुस्लिम १३५०)

२५. अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: चार चीजों की बुनियाद पर औरत से शादी की जाती है उसके माल की वजह से उसके हसब नसब की वजह से और उसके दीन की वजह से और तुम दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो, नहीं तो तुम्हारे हाथों में मिट्टी लगेगी। (बुखारी ५०६० मुस्लिम १४६६)

२६. अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: मेरे घर और मेरे मिनबर के बीच की जमीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिनबर मेरे हौज़ के ऊपर होगा। (बुखारी ११६६, मुस्लिम १३६१)

२७. अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: सवार पैदल चलने वाले से सलाम करेगा, पैदल चलने वाला बैठने वाले से और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों से सलाम करेंगे। (बुखारी २१६० मुस्लिम ६२३२)

इस्लाम और अमन व सुरक्षा

इब्ने अहमद नकवी

आतंकवाद और हिंसा का रिश्ता न किसी धर्म से है न किसी देश से है न किसी काले से न किसी गोरे से, न पश्चिम से न पूर्व से। आतंकवाद एक जुनून है यह जूनन (उन्माद) किसी भी पागल के दिल व दिमाग में बसेरा ले सकता है। आतंकवाद का जुनून न किसी धर्म का मुतालाशी (ढूँढने वाला) होता है, न किसी जाति बिरादरी का, न किसी कम्यूनिटी से उसे मतलब है न किसी एलाके और देश से। वह बस एक जुनून है उसे मजनों की तलाश होती है। एक आतंकवादी जब आतंकी कार्रवाई का प्लान बनाता है तो उस वक्त उसका रिश्ता, मानवता से, धर्म से, सभ्यता से, समुदाय से और देश से टूट जाता है। उसका संबन्ध केवल शैतान से बाकी रह जाता है और दानवता उसकी रग-रग में उसके खून के साथ गर्दिश करने लगती है। उसे किसी धर्म से जोड़ना धर्म का अपमान है और उसे किसी समुदाय और कम्यूनिटी से जोड़ना समुदाय और कम्यूनिटी का अपमान है उसे किसी देश और क्षेत्र से जोड़ना क्षेत्र और देश का अपमान है। उसे किसी

घराने से जोड़ना घराने का अपमान है।

आतंकवादी जीवन के लिये कलंक, मानवता के लिये कलंक, धर्म के लिये कलंक और देश के लिये कलंक होता है।

दुनिया में आतंकवादी और उसके आतंकवाद का सबसे बड़ा विरोधी इस्लाम और मुसलमान हैं। आज भी अगर पूरी दुनिया में सर्वे कर लिया जाए और इसका विश्लेषण हो जाए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मुसलमान अपनी तमाम इल्मी और माली मुश्किलात और अवारिज़ और अमराज़ (कमियों) के बावजूद सबसे ज़्यादा इन्साफ पसन्द, अमन पसन्द और खुले जेहन व दिमाग के हैं। गेल्य पोल ने अपने सात वर्षीय सर्वे और परिणाम को प्रकाशित कर दिया है और इससे यही बात साबित होती है।

इस्लाम का और मुसलमानों का आतंकवाद से मुतअल्लिक पहले भी यही रवैया (दृष्टिकोण) था और अब भी यही रवैया है। अगर कहीं मुस्लिम नाम रखने वाले कुछ लोग वास्तव में आतंकवाद के अपराधी हों तो उसूली तौर पर उन्हें इस्लाम

और मुसलमानों से नहीं जोड़ा जा सकता वह तो ऐसा जुर्म करके फौरी तौर पर (तुरन्त) इस्लाम और मुसलमानों से कट जाते हैं।

□ इस्लाम तो वह धर्म है जिसे यह भी गवारा नहीं कि मुसलमान के ज़रिए किसी देशवासी को कांटा भी चुभे।

□ इस्लाम ने तो यह शिक्षा दी है कि रासते से तकलीफ देह चीज़ों को हटा देना भी नेकी का काम है।

□ इस्लाम यह भी कहता है कि नफरत, गुस्सा, पक्षपात सब ग़लत हैं और ऐसे लोगों की सराहना करता है जो लोगों के उसकाने पर भी गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को मआफ कर देते हैं।

□ इस्लाम यह भी कहता है कि किसी के साथ सख्त शैली में बात न करो और इशारे से भी किसी का अपमान न करो, किसी को अपमान करने की नियत से ग़लत नाम न दो।

□ उसकी तालीम यह है कि जब एक इन्सान दूसरे इन्सान की मदद करता है तो अल्लाह उसका मददगार होता है, किसी के साथ

हमदर्दी और मेहरबानी करने से अल्लाह हमदर्दी और मेहरबानी करता है।

□ उसने यह भी बताया कि धरती पर अकड़ और घमण्ड के साथ न रहो, विनम्रता के साथ रहो, मानवता और समता का व्यवहार अपनाओ।

□ उसने सिखया कि समाजी ज़िन्दगी में इन्सान के एहसासात और जजबात का ख्याल रखो किसी के मन को ठेस मत पहुंचाओ और किसी के लिये किसी तरह के दुख का कारण न बनो।

□ उसने कहा कि इस संसार में जिस के साथ मुसलमान का आपसी मामला हो उसके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छे आचरण का प्रदर्शन करे। पानी, छांव, पेड़, पक्षी, इन्सान, जानवर, रास्ता, नदी नाला, राजमार्ग, जन सुविधाएं और सामान मिसाल के तौर पर स्कूल, कुवाँ, पार्क, स्पताल आदि जिसके साथ भी मुसलमान का साबक़ा पड़े उनके साथ उसी तरह का मामला हो जैसे उनका हक़ है, फायदा उठाना है तो ज़रूरत भर, गुज़रना है तो दूसरों की रिआयत (ध्यान) रखते हुए, न इनका गलत स्तेमाल जायज़ है न अवैध कबज़ा और न ख्यानत, न दुख देना है न उन्हें बर्बाद करना है।

□ इस्लाम की शिक्षाओं में से है कि एक इन्सान ज़िम्मेदार है और

हर एक अपने कार्यक्षेत्र में ज़िम्मेदार है और ज़िम्मेदारी के बारे में जवाब देह है।

□ इस्लाम ने सिखलाया है कि जानवरों को भी बिला वजह न बांध रखो, न सताओ और ज़िन्दा उन्हें निशाना न बनाओ और अगर जानवर पाला है तो उन्हें खिलाने पिलाने की भरपूर ज़िम्मेदारी लो।

□ पैग़म्बर मुहम्मद स० ने फरमाया कि जानदार सृष्टि के साथ अच्छा व्यवहार करना नेकी का काम है। जीवित सृष्टि को आराम पहुंचाना, उनको सुरक्षा देना, परेशानी में उनके काम आना, उनको खाना खिलाना सदक़ा (नेकी का काम) है।

□ पूरे संसार के इन्सानों को अच्छी बातें बतलाना और उनके नफ़ा व नुकसान से उनको आगाह करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है।

□ दुनिया में समता और न्याय स्थापित करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है और बदतरीन दुश्मन के साथ भी इन्साफ़ करना अनिवार्य है।

□ समाज के कमज़ोर, बूढ़े, अनाथ, बेवा, अपाहिज, ग़रीब मोहताज मरीज़ के साथ विशेष रिआयत की शिक्षा दी गई है और उनके लिये जीवन के सामान और वस्तुएं उपलब्ध करना बड़ा नेक काम माना गया है।

□ राई राई और दाने दाने में मुसलमानों के ऊपर ईमानदारी को ज़रूरी करार दिया गया है और इमानत की संकल्पना (तसौउर) को व्यक्ति व समाज और संसार के दायरे तक विस्तार कर दिया गया है।

□ पड़ोसी के अधिकार तय हुए यहाँ तक कि अगर सफर में भी कोई वक्ती तौर पर साथी है तो उसे भी पड़ोसी का दर्जा दिया गया है और उसके लिये अच्छे व्यवहार और आचरण के अधिकार तय हुए।

यह और इस तरह की बहुत से ऐसी इस्लामी शिक्षाएँ हैं जिन्होंने पूरे मानव समाज को चलना फिरना रहना सहना और जीना सिखाया और और उन्हें मानवीय और ज्ञानात्मक मूल्यों से सम्मानित किया है। उन्हें भलाई की शिक्षाओं से संवारा आज दिलों में जो इन्सानियत और जेहनों में उदारता पाई जाती है वह इन्हीं शिक्षाओं का परिणाम हैं। इनही शिक्षाओं से इन्सान ने उदारता, विकास और हमदर्दी का सबक़ सीखा है।

इस वक़्त भी ज़रूरी है कि इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में इन्सान अपने मसाइल (समस्याओं) को हल करें और गढ़े हुए मुश्किलात को दूर करें इसके सिवा कोई हल नहीं है बल्कि अन्य विकल्पों से केवल नफरत, फसाद और पक्षपात बढ़ रहा है।

□ □ □

बच्चों, गरीबों और गुलामों पर दया

□ अबुल कलाम आज़ाद

हुजूर (हज़रत मुहम्मद) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत शफ़क़त और दया फरमाते, आप सफ़र से वापस आते और लोग स्वागत के लिये निकलते तो बच्चे भी साथ होते और वह मामूल के अनुसार दौड़ कर एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते। जो पहले पहुंचते आप उन्हें साथ सवारी पर बिठा लेते। रास्ते में मिल जाते तो उन्हें स्वयं सलाम करते और उनसे भी प्यार और शफ़क़त का यही बर्ताव करते।

एक बार एक बहुत ही ग़रीब औरत हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा के पास आई उसकी दो बच्चियां भी साथ में थीं। इत्तेफ़ाक़ से हज़रत आइशा के पास उस वक्त कुछ न था, एक खुजूर पड़ी थी वह उस औरत को दे दी उसने खुजूर के दो टुकड़े किये और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चियों को दे दिया। हज़रत आइशा ने यह वाक़्या रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

को सुनाया तो फरमाया जिस के दिल में खुदा औलाद की मुहब्बत डाल दे और वह इस मुहब्बत का हक़ अदा करे तो नरक (दोज़ख़) की आग से महफूज़ रहेगा।

अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से आप ने फरमाया था तुम्हारा गुलाम (सेवक) तुम्हारे भाई हैं जो स्वयं खाओ, उन्हें खिलाओ जो खुद पहनो उन्हें पहनाओ, इसलिये इसके बाद से अबू ज़र रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने अपने गुलाम को हमेशा खाने पहनने वगैरह में अपने बराबर रखा।

गुलामों के लिये “गुलाम” का शब्द भी गवारा (पसन्द) न था। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें गुलाम और लौंडी कह कर न पुकारा करो “मेरा बच्चा मेरी बच्ची” कहा करो। आप के पास जो गुलाम आता, उसे आज़ाद कर देते लेकिन वह आज़ाद होकर भी आप के दया व प्यार की जंजीर में जकड़े रहते। जैद बिन हारिसा के पिता और चचा उनको

लेने के लिये आए और हर कीमत चुकाने के लिये तैयार थे। आप पहले ही जैद को आज़ाद कर चुके थे। जाने न जाने का मामला जैद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो पर छोड़ दिया उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया और आप के दया व कृपा को मां बाप और दूसरे खूनी रिश्तेदार के दया पर वरीयता दी। मुहब्बत और शफ़क़त के इस सम्मान का सहीह अन्दाज़ा कौन कर सकता है जिसके सामने करीबतरीन खूनी रिश्ते भी बे हकीक़त रह गये थे? जैद रज़ियल्लाहो अन्हो के बेटे उसामा रज़ियल्लाहो अन्हो से आप को जितनी मुहब्बत थी वह इसी से स्पष्ट है कि बाज अहम मामलात में उसामा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ही को आप की बारगाह में सिफ़ारिशी बनाया जाता था। एक सहाबी (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथी) अपने गुलाम को मार रहे थे। पीछे से आवाज़ आई खुदा को तुम पर इससे ज़्यादा शक्ति है सहाबी ने मुड़ कर देखा तो खुद रसूल

सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम थे। अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल इसे मैंने अल्लाह की खुशी के लिये आज़ाद कर दिया। फ़रमाया अगर तुम इसे आज़ाद न करते तो जहन्नम की आग तुम्हें छू लेती।

सब से आखिरी वसियतों में से एक वसियत यह थी कि गुलामों और लौंडियों के मामले में खुदा से डरते रहना। एक शख्स ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल गुलाम के दोष को (कुसूर) कितनी बार मआफ करूं। आप खामूश रहे। जब तीसरी बार यही गुजारिश की तो फ़रमाया हर दिन सत्तर बार।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ज़्यादा तर दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे गरीब मिस्कीन रख, मिस्कीन उठा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्न कर। हज़रत आइशा रजियल्लाहो तआला अन्हा ने पूछा ऐसा क्यों? फरमाया इस लिये कि मिस्कीन दौलतमन्दों से पहले जन्नत में जायेंगे फिर फरमाया किसी मिस्कीन को अपने दरवाजे से खाली हाथ न लौटाओ, कुछ न हो तो छोहारे का एक टुकड़ा ही सही, ज़रूर दे दो। आइशा गरीबों से मुहब्बत करो, उन्हें

अपने से नज़दीक रखो, खुदा भी तुम को अपने से नज़दीक रखेगा।

अवाली में एक बुढ़िया थी, उसे जांबर (स्वस्थ होने) की उम्मीद न थी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब उसकी वफ़ात हो तो मुझे ज़रूर खबर करना। मैं जनाज़े की नमाज़ पढ़ाऊंगा। इत्तेफ़ाक़ से बुढ़िया का इन्तेक़ाल कुछ रात गये हुआ। सहाबा ने आप को रात के वक़्त उठाना गवारा न किया और बुढ़िया को दफन कर दिया। सुबह के वक़्त आप ने पूछा और पूरी बात मालूम हुई तो इस खातून की क़बर पर जाकर जनाज़े की नमाज़ अदा की।

एक बार एक क़बीला मुसाफिरवार मदीना आया उसकी हालत खस्ता थी, किसी के शरीर पर साबित कपड़ा नहीं था, पांव नंगे थे, खालें बदन पर बंधी हुई थीं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक उन लोगों की बदहाली पर पड़ी तो चेहरे का रंग बदल गया। दुखी हालत में अन्दर गये फिर बाहर आए और बिलाल को अज़ान का हुक़्म दिया नमाज़ के बाद एक खुतबे में सबको इन गरीबों की मदद करने पर तैयार किया।

बाकी पृष्ठ २६ का

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

“आदमी के पापी होने के लिये यही काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बातों को बयान करता फिरे” (सुनन अबू दाऊद ४६६२)

अविश्वसनीय बातों और अफवाहों को बयान करने के बजाये इस पर खामूशी अपनाई जाये, इसकी उपेक्षा करके अफवाह पर रोक लगाने की कोशिश की जाए। इस तरह यह अफवाह स्वयं खतम हो जाएगी।

अपमान और बदनामी की बातें, उसकी जो भी सूरतें हों, उन्हें बयान करने से बचा जाए।

किसी खबर में विरोधाभास हो तो ऐसी सूरत में उसके असल स्रोत को जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सहीह मालूमात का पता लगाया जा सके।

इस समय हम लोगों की यही शान होनी चाहिये इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण और पालन करते हुए अफवाहों के नुकसानात से बचा जा सकता है।



अफ़वाह से बचने का तरीका

मौलाना अज़ीज़ अहमद मदनी

अफवाह फैलाना एक निंदित कार्य है अफवाह फैलाने में गीबत, झूठे आरोप, बदगुमानी, हसद, ख्यानत, कपटाचार, अपमान आदि बुराइयों का सहारा लेना पड़ता है यह सब अफवाह फैलाने का कारण बनते हैं यह किसी भी समाज को घुन की तरह चाट कर खतम कर देते हैं यही वजह है कि इस्लाम ने इन तमाम दुराचरण पर अंकुश लगाया है और एक दूसरे के बारे में अच्छा विचार रखने और सदव्यवहार करने की शिक्षा दी है। किसी की बुराई करने, झूठे आरोप लगाने, गलत विचार रखने पर रोक लगा दी है और इसे महा पाप करार दिया है जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया:

“ऐ ईमान वालो! बहुत बदगुमानियों से बचो यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ पाप हैं और भेद न टटोला करो और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे।” (सूरे-हुजूरत-92)

इसी तरह आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़े, विभिन्न वर्गों और समुदाय में नफरत व दूरी की बुनियाद झूठी खबरें, अफवाहें और अप्रमाणित बातें होती हैं। जो समाज में झगड़े का सबब बन जाती हैं इसी लिये पवित्र कुरआन में मतभेदों के सभी स्रोतों को बन्द करने और बिना छान बीन और शोध व सुबूत के किसी बात और खबर को कुबूल न करने का आदेश एवं उपदेश दिया है ताकि बाद में पछताताप का सामना न करना पड़े। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया: ऐ मुसलमानो! अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक़ कर लिया करो ऐसा न हो कि अज्ञानता में किसी को दुख पहुंचा दो फिर अपने किये पर पश्चाताप उठाओ। (सूरे हुजूरत-६)

इस आयत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को बताया गया है जिस का व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर अत्यंत महत्व है। हर व्यक्ति,

संस्था और सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि उसके पास जो भी खबर या सूचना आए खास तौर से दुराचारी, पापी और फसादी किस्म के लोगों की तरफ से तो पहले इसकी छानबीन की जाए ताकि गलत फहमी में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। (अहसनुल बयान-पृष्ठ-98५)

इसी प्रकार समाज में बेचैनी, भय और बेइतमिनानी का बड़ा सबब अफवाह है। अफवाह उड़ाना, किसी बात को बिना छानबीन और बिना सोचे समझे प्रसारित करना कुरआन की निगाह में अप्रिय कार्य है यह कपटाचारी और लापरवाह लोगों का तरीका है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया: जहाँ उन्हें कोई खबर अम्न की या भय की मिली उन्होंने इसे मशहूर करना शुरू कर दिया हालांकि अगर यह लोग इसे रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते, तो इसकी हकीकत वह लोग

मालूम कर लेते जो परिणाम निकालते हैं और अगर अल्लाह तआला का करुणा और उसकी दया तुम पर न होती तो गिने चुने चन्द के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते।” (सूरे निसा-८२)

कुरआन की इस आयत में यह शिक्षा दी गई है कि अगर खबर सुन कर खुद से इसको फैलाने के बजाये इसे रसूल (पैगम्बर) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम या रसूल के जिम्मेदार साथियों तक पहुंचा देते तो वह इस पर विचार विमर्श करके पहले यह फैसला करते कि यह खबर सहीह है या गलत। अगर सहीह है तो इसको प्रसारित करना चाहिये या नहीं, मुसलमानों का इस खबर को जानना लाभकारी है या न जानना लाभकारी है। खबर प्रसारित करने योग्य होती तो प्रसारित करते वरना रोक देते। यह सिद्धांत साधारण हालात में बड़े महत्वपूर्ण और अत्यंत हितकारी हैं लेकिन खास हालात में तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है अतः सामूहिक जीवन में इस निर्देश पर अमल करना ज़रूरी है वरना सामूहिक जीवन को असीमित नुकसानात पहुंच

सकते हैं जिस का निरीक्षण हम अपने सामूहिक और संगठनात्मक जीवन में कर रहे हैं और पक्षतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता।

अफवाहों पर नियंत्रण पाने के लिये ज़रूरी है कि खबरों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाए,

२. बिना छान बीन के खबरों को फारवर्ड न करना,

३. अफवाहों पर ध्यान न देना,

४. अफवाह पर खामूश रहना,

५. अफवाह पर गंभीरता और संतुलन बाकी रखना

६. अफवाहों का खण्डन करना

७. अफवाहा के संसाधन और माध्यम पर रोक लगाना, अफवाहों से बचने के बेहतरीन उपाय हैं।

इस्लाम धर्म ने अफवाह और निराधार खबरों के नुकसानात से बचने के लिये कुछ सिद्धांत बताए हैं अफवाहों के नुकसानात से बचने के लिये कुछ सिद्धांत बताए हैं जिस पर अमल और उनका पालन करके अफवाहों के नुकसानात से बचा जा सकता है।

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

“यह बहुत बड़ी ख्यानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात कहो और वह तुम्हें सच्चा समझे हालाँकि तुम उससे झूठ बोल रहे हो। (अबू दाऊद-४६७१)

अफवाह आम तौर पर गीबत पर आधारित होती है और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फरमान के अनुसार गीबत यह है कि अपने भाई की ऐसी बात का उल्लेख दूसरों से करना जिसे वह नापसन्द करे और अगर वह बातें इसमें न पायी जायें तो उस पर बोहतान (झूठा आरोप) है। यह दोनों आदतें शरीअत अर्थात इस्लामी कानून की निगाह में निन्दित और बुरी है।

अफवाह का आधार आम तौर पर अनुमान और अन्दाज़े पर होता है। एक मुसलमान के लिये यह अत्यंत ज़रूरी है कि वह किसी बात या खबर को उसी वक्त बयान करे जब तक उसके सहीह होने की पुष्टि न हो जाए।

ग़लत और झूठी बातों को नक़ल करना, उसको फैलाना जिस के झूठ होने का यकीन हो नाजायज और अन्याय है।

बाकी पृष्ठ २४ पर

रमज़ानुल मुबारक के मौके पर अपने सदकात व खैरात का हिस्सा मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द को देना न भूलें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द हिन्दुस्तान में अहले हदीसों का नुमाइन्दा प्लेटफार्म है जो अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों की रोशनी में योजनाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिये प्रयासरत है। उसकी दावती, तबलीगी, तालीमी, तर्बियती, तहरीरी व सहाफती, कल्याणकारी एवं समाजी सेवाओं का एक लम्बा सिलसिला है। सेमीनार कांफ्रेंस और प्रतियोगिता के आयोजन, विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन, तफसीर, हदीस और अहम दीनी किताबों के प्रसारण का काम पाबन्दी से हो रहा है अहले हदीस कम्प्लैक्स ओखला नई दिल्ली के महान निर्माण प्रोजेक्ट की दूसरी मंज़िल और अहले हदीस मंज़िल स्थिति जामा मस्जिद दिल्ली की चौथी मंज़िल की छत की ढलाई का काम हुआ चाहता है जिस की वजह से जमीअत के खर्च बढ़ गये हैं और यह सब काम अल्लाह के फज़ल व करम के बाद अहले खैर हज़रात, शुभचिंतकों और उपकारकों के सहयोग से हो रहा है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और अपने उपकारकों और मुख्लसीन के भी जिन्होंने किसी न किसी पहलू से मर्कज़ी जमीअत के निर्माण एवं विकास में भाग लिया है और उसके योजनाओं को पूरा करने में आज भी सहयोग जारी रखे हुये हैं।

रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है इस मुबारक अवसर पर तमाम शुभचिंतकों व मुख्लसीन से अपील है कि मर्कज़ी जमीअत के तमाम विभागों को सक्रिय रखने और उसके निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये जमीअत के जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ भरपूर सहयोग करें। वह आपकी सेवा में हाज़िर होंगे। अगर इनमें से कोई आपके पास न पहुंच सके तो कृपया अपना सहयोग राशि मर्कज़ी जमीअत के दफ़तर में भेज दें अल्लाह आपकी नेकियों को कुबूल करे।

चेक या ड्राफ़ केवल : **Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind**
के नाम से बनवायें : **A/c No.629201058685** (ICICI Bank) Chandni Chowk,

Branch(RTGS/NEFT/IFSC CODE: ICIC0006292)

अपील:- सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

27

इसलाहे समाज
फरवरी 2024

इसलाहे समाज
फरवरी 2024

27

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar
of Newspapers for India"

FEBRUARY 2024

RNI - 53452/90

P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ


4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में
सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के
पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है
और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है
कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के
लिये पुरजोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर
जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीके (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द
रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की,
दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या कीमत देकर सहयोग करें और
माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

paytm ♥ LPI



A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)

Chandni Chowk, Delhi-110006

(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)

पता:- 4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28